

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-आ, आ/2177

जयपुर दिनांक :- 22.01.2025

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 245/2024-25 दिनांक 15.01.2025 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. विभागीय आदेश के क्रम सं. 92 के कॉलम सं. 03 में अंकित "जयप्रकाश मोवाल" के स्थान पर "जयप्रकाश मुवाल" पढ़ा जावे।
2. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 181 पर अंकित मानसिंह मीणा (लिंक नं. 10171), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
3. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 253 पर अंकित, अंकित शर्मा (लिंक नं. 10097), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
4. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 182 पर अंकित रामगोपाल मीणा (लिंक नं. 10173), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
5. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 250 पर अंकित निर्मल चौधरी (लिंक नं. 11701), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान कार्यालय का नाम "तहसील मौजमाबाद" के स्थान पर "उपकोषालय, दूदू" पढ़ा जावे।
6. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 237 पर अंकित वतन दिक्षित (लिंक नं. 11468), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "हितेन्द्र कुमार मीणा के स्थान पर" के स्थान पर "गौरव शर्मा के स्थान पर" पढ़ा जावे।
7. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 192 पर अंकित संग्राम सिंह (लिंक नं. 12040), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "अजीत भाटी" के स्थान पर "अक्षय मोदी" पढ़ा जावे।
8. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 259 पर अंकित बाबुलाल छाबडी, (लिंक नं. 10067), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सरीता मीणा के स्थान पर" पढ़ा जावे।
9. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 233 पर अंकित ऋचा शर्मा (लिंक नं. 12309), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "हटाना है" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
10. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 63 पर अंकित भरत कुमार सिंह (लिंक नं. 11455), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
11. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 175 पर अंकित जितेन्द्र मीणा (लिंक नं. 12834), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
12. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 214 पर अंकित दिनेश कुमार शर्मा (लिंक नं. 9895), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "कानाराम मीणा, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "रेखा गर्ग, सलेअ-आ के स्थान पर" पढ़ा जावे।
13. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 96 पर अंकित नवल किशोर मौर्य (लिंक नं. 12244), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रेखा गर्ग, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "कानाराम मीणा, सलेअ-आ के स्थान पर" पढ़ा जावे।
14. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 139 पर अंकित दशरथ कुमार मीणा (लिंक नं. 12614), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "राहुल वर्मा, सलेअ-आ के स्थान पर" पढ़ा जावे।
15. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 27 पर अंकित मिनाक्षी सहवाल (लिंक नं. 10691), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "मेघा वर्मा के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
16. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 302 पर अंकित प्रीति चौधरी (लिंक नं. 12728), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 02 में "12758" के स्थान पर "12728" पढ़ा जावे।
17. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 103 पर अंकित कविता रुंडला (लिंक नं. 12270), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान कार्यालय का नाम "CHC शाहपुरा, जयपुर" के स्थान पर "CHC, अमरसर, जयपुर" पढ़ा जावे।
18. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 330 पर अंकित कमल कुमार मीणा (लिंक नं. 11501), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्तमान कार्यालय का नाम "अधीशाषी अभियंता, सानिवि नैनवा" के स्थान पर "मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), बूंदी" पढ़ा जावे।
19. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 184 पर अंकित रेखा मंगलानी (लिंक नं. 43394), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय क्रमोन्नत होने के कारण "जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर" के स्थान पर "अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" के स्थान पर "मृगाक्षी शर्मा के स्थान पर" पढ़ा जावे।

20. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 123 पर अंकित पूर्वा जैन, (लिंक नं. 11762), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर" पढा जावे।
21. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 180 पर अंकित शम्भु लाल जीनगर(लिंक नं. 9926), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा" के स्थान पर "जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा" पढा जावे।
22. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 320 पर अंकित भूपेश रावल(लिंक नं. 13154), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "अधिक्षापी अभियंता, भू-जल, डूंगरपुर" के स्थान पर "जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यालय, डूंगरपुर" पढा जावे।
23. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 159 पर अंकित विवेक पारीक (लिंक नं. 10639), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "उपनिदेशक, पशुपालन, भीलवाड़ा" के स्थान पर "उपकोषालय, मांडलगढ, भीलवाड़ा" पढा जावे।
24. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 293 पर अंकित रवि धनवाड़िया (लिंक नं. 11366), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, कोटा" के स्थान पर "प्राचार्य, पॉलिटेक्निक कॉलेज जीडब्ल्यूपी, कोटा" पढा जावे।
25. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 18 पर अंकित अंजू कुमारी (लिंक नं. 11098), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद सलेअ-आ का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "जिला सैनिक कल्याण विभाग जयपुर" के स्थान पर "निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर" पढा जावे।
26. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 338 पर अंकित मनीष पाटोदिया (लिंक नं. 10648), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय "स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर" के स्थान पर "स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षे.का.(जांच दल), कोटा" एवं कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढा जावे।
27. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 135 पर अंकित प्रियंका झाला, (लिंक नं. 33340), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "भूजल विभाग डूंगरपुर (XEN Div Office), डूंगरपुर" के स्थान पर "अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर" पढा जावे।
28. विभागीय आदेश में एक से अधिक स्थान पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण क्रम संख्या 22, 95, 101, 132, 133, 136, 157, 164, 200, 210, 232, 238, 337 पर अंकित सलेअ-आ के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

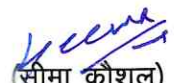
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

जयपुर दिनांक :-22.01.2025

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-आ, III/2177

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार/सलेअ-आ को कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सोमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)